

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 10/6/11-सी-FP/UP/Approach/50244/2020, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 29, 2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद आगरा में आगरा-भरतपुर मार्ग एन०एच०-11 (New NH-21) के किमी० 42 (चैनेज 41.293) पर ग्राम-चौमा, शाहपुर के खसरा सं०-651 की बांयी पटरी पर रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.1790312 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।
(प्रस्ताव सं० FP/UP/Approach/50244/2020)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/135/2020/एफ०सी०/971, दि० 19.10.2020
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक-1482/14-1 दिनांक 28.10.2020 द्वारा उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 10/6/11-सी FP/UP/Approach/50244/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, आगरा।
- 3- अधिकृत अधिकारी, रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड, रिलायंस हाउस, आर०के० फोर स्कायर डीएलएफ सायबर सिटी, द्वितीय तल बिल्डिंग नं०-4, गुरुग्राम-122002 (हरियाणा)।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।